रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली मंगलवार, अप्रैल 23, 1991/वैशाख 3, 1913
No. 159] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 1991/VAISAKHA 3, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1991

सा.का.नि. 230(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में इस अधिसूचना की तारीख को यथाप्रवृत्त भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का पंजाब अधिनियम सं. 21) का निम्नलिखित निर्बन्धनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात्:—

उपान्तरण

धारा 2 में "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द उपाबन्ध में दिए गए रूप में रखे जाएंगे।

उपाबन्ध

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का पंजाब अधिनियम सं. 21)

पंजाब राज्य में लागू होने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1982 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 में नई धारा 47क का अन्तःस्थापन.—चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में लागू होने के

लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में धारा 47 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"47-क. न्यून मूल्यांकित लिखतों पर किस प्रकार कार्यवाही की जाएगी—

(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम, सं. 16) के अधीन नियुक्त किए गए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को किसी संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कोई लिखत की रजिस्ट्री करते समय यह विश्वास करने का कारण हो कि उस संपत्ति का, यथास्थिति, मूल्य या प्रतिफल लिखत में सही सही दर्ज नहीं किया गया है, तो वह ऐसे लिखत की रजिस्ट्री करने के पश्चात् उसे ऐसी संपत्ति का यथास्थिति, मूल्य या प्रतिफल के तथा उस पर देय उचित शुल्क अवधारण के लिए कलक्टर को निर्देशित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, कलक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी रीति में, जैसी कि इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाएं जांच करने के पश्चात्, मूल्य या प्रतिफल का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण करेगा। शुल्क की रकम में अन्तर यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो।

(3) कलक्टर, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक या किसी जिले का रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में वह संपत्ति या उसका कोई भाग अवस्थित है द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से किसी ऐसे लिखत के, जो कि उपधारा (1) के अधीन उसे पहले ही निर्देशित न की गई हो, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष के भीतर मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, जिससे कि वह उस संपत्ति के, यथास्थिति, मूल्य या प्रतिफल के तथा उस पर देय शुल्क के सही होने के संबंध में स्वयं का समाधान कर सके। और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् यह विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसी संपत्ति का मूल्य या प्रतिफल लिखत में सही दर्ज नहीं किया गया है तो वह उप-धारा (2) में उपबंधित की गई प्रक्रिया के अनुसार ऐसी संपत्ति के मूल्य या प्रतिफल का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण कर सकेगा। शुल्क की रकम में अन्तर यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो।

(4) कलक्टर के किसी ऐसे आदेश से, जो कि उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दिया गया हो, व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर अपील जिला न्यायाधीश को कर सकेगा और ऐसी अपील की सुनवाई और निपटारा इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा वि[...] रीति के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए [...] संपत्ति के मूल्य के संबंध में यह प्राकलन किया [...] कि वह, वह कीमत है जो कि यथास्थिति, कलक्टर [...] अपील प्राधिकारी की राय में ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित लिखत के निष्पादन की तारीख को [...] में विक्रय किया जाने पर ऐसी संपत्ति के लिए [...] होती।

[फा. सं. 11015/1/89-यूटी]
सुवीर दत्ता, संयुक्त [...]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1991

G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers con[ferr]ed by section 87 of the Punjab Re-organisation [Act,] 1966 (31 of 1966), the Central Government he[reby] extends to the Union Territory of Chandigarh [the] Indian Stamp (Punjab Amendment) Act, 1[982] (Punjab Act No. 21 of 1982) as in force in the S[tate] of Punjab on the date of this notification subject [to] the following restrictions and modifications, [name]ly :—

MODIFICATIONS

In section 2, for the words 'State of Punjab', [the] words 'Union territory of Chandigarh', shall be [sub]stituted, as given in the Annexure.

ANNEXU[RE]

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDME[NT]) ACT, 1982 (PUNJAB ACT NO. 21 OF 1982) EXTENDED TO THE UNION TERRITORY [OF] CHANDIGARH

An Act to amend the Indian Stamp Act, 189[9 in] its application to the State of Punjab.

Be it enacted by the legislature of the State [of] Punjab in the Thirty third year of the Republic [of] India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) The [Act] may be called the Indian Stamp (Punjab Amend[ment]) Act, 1982.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 47-A in Central Ac[t] of 1899.—In the Indian Stamp Act, 1899 in [its] application to the Union Territory of Chandigarh, after section 47, the following section shall be ins[ert]ed, namely :—

"Section 47-A :—Instruments under valued h[ow] to be dealt with :—

(1) If the Registering Officer appointed un[der] the Registration Act, 1908 (Central [Act] No. 16 of 1908), while registering [...]

instrument relating to the transfer of any property, has reason to believe that the value of the property or consideration, as the case may be, has not been truly set forth in the instrument, he may, after registering such instrument, refer the same to the Collector, for determination of the value of the property or the consideration, as the case may be, and the proper duty payable thereon.

(2) On receipt of reference under sub-section(1), the Collector shall, after giving the parties reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in such manner as may be prescribed by rules under this Act, determine the value of consideration and the duty as aforesaid and the deficient amount of duty, if any, shall be payable by the person liable to pay the duty.

(3) The Collector may, suo motu, or on receipt of reference from the Inspector General of Registration or the Registrar of a district, appointed under the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), in whose jurisdiction the property or any portion thereof which is the subject matter of the instrument is situated, shall within 2 years from the date of registration of any instrument not already referred to him under sub-section (1) call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of its value or consideration, as the case may be, and the duty payable thereon and if after such examination, he has reason to believe that the value of consideration has not been truly set forth in the instrument, he may determine the value or consideration and the duty as aforesaid in accordance with the procedure provided for in sub-section (2) and the deficient amount of duty, if any, shall be payable by the person liable to pay the duty.

(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) of sub-section (3) may, within thirty day from the date of that order, prefer an appeal before the District Judge and all such appeals shall be heard and disposed of in such manner as may be prescribed by rules made under this Act.

Explanation.—For the purposes of this section, value of any property shall be estimated to be the price which in the opinion of the Collector or the appellate authority, as the case may be, such property would have fetched, if sold in the open market on the date of execution of the instrument relating to the transfer of such property."

[No. U-11015|1|89-UTL]

Sd|-
S. DUTTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1991